ग्राम पंचायत मूमता, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, ज़िला काँगड़ा, हि० प्र०-176047
अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मूमता, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अरुण बाला	01/04/2024 से 31/03/2025

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01/04/2024 से 31/03/2025

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री भुवनेश कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री अजय कुमार	01/04/2024 से 31/03/2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत मूमता के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	ऑनलाइन रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अंतर पाया	**6.51**
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**45.36**
3.	7	पंचायत राजस्व सम्पत्ति कर/गृह कर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.66**
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	**2.92**
5.	8.2	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.06**
6.	9	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	**03.69**
7.	10	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	**0.06**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

प्राय: यह देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है जो अत्यंत चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है :-

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	5.1	अनिर्णीत	
2.	5.2	अनिर्णीत	
3.	6	अनिर्णीत	
4.	7	अनिर्णीत	
5.	8	अनिर्णीत	
6.	10	अनिर्णीत	
7	11	अनिर्णीत	
8	12	अनिर्णीत	
9	13	अनिर्णीत	
10	14	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की मांग व प्राप्ति रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 828 की पुष्टि उपरान्त।
2.	4.1,4.2	अनिर्णीत	
3.	5	अनिर्णीत	
4.	6	अनिर्णीत	

5.	7	अनिर्णीत	
6.	8	अनिर्णीत	
7.	8.1	अनिर्णीत	
8.	8.2	अनिर्णीत	
9.	9	अनिर्णीत	
10.	10	अनिर्णीत	
11.	11	अनिर्णीत	
12.	12	अनिर्णीत	
13	13	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मूमता, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.2025 से 21.06.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2024-25	05/2024	01/2025

<u>**अस्वीकरण (Disclaimer):**</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: एस.ए.डी/2025-47 दिनांक 21.06.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21 .06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-37 दिनांक 17.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "1"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2024-25	1118682.97	292923.06	1411606.03	959217.00	452389.03

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2024-25	3430084.6	8870696.00	12300780.60	7765216.00	4535564.60

कुल योग (1+2) = 452389.03+ 4535564.60 = **4987953.63**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाइन रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹4987953.63** तथा बैंक खातों के अन्तशेष **₹4336523.33 (परिशिष्ट - "3")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.25 को
1	स्वयं स्त्रोत	के. सी. सी. बैंक नगरोटा बगवां	50066589927	289077.00
1	स्वयं स्त्रोत/पांचवा वित्त /वी०के०वी०एन०वाई०/एस० डी०आर०एफ०/एम्०पी०लैड० /एस.०डी०पी०	के. सी. सी. बैंक नगरोटा बगवां	20012008032	633115.03
2.	15वाँ वितायोग/पंचायत समिति	एच०डी०एफ०सी० बैंक नगरोटा बगवां	50100317180429	3413731.30
10.	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही के अनुसार)			600.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 का कुल योग :			₹4336523.33
	<u>दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :-</u>			
	ऑनलाइन रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹4987953.63**
	पंचायत के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2025 तक अन्तशेष:-			**₹4336523.33**
			अंतर :-	**₹651430.3**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹6.51 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31-03-25 को ₹651430.3 की राशि का अन्तर रोकड़ बही में अधिक पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी.2025-39 दिनांक 18.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अन्तर के कारणों का वस्तुस्थिति अनुसार समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के निर्देशों अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज (PRIA Soft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए एक बैंक खाता खोलने व उपयोग करने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	**शीर्ष**	**बैंक**	**खाता सं०**
1.	सभा निधि (Own Source)	KCCB काँगड़ा	20012008032
2.	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		
3.	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)		
4.	5th SFC (राज्य वित्त आयोग)		
5.	VKVNY (विधायक निधि)		
6.	MPLAD		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF), 5th SFC (राज्य वित्त आयोग) VKVNY (विधायक निधि) MPLAD अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-38 दिनांक 18.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: दिनांक 15.02.2012 के उक्त स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी आज दिन तक स्कीमवार खाते न खोलने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF), 5th SFC (राज्य वित्त आयोग) VKVNY (विधायक निधि) MPLAD अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है अथवा ये कार्य अंकेक्षण की तिथि तक पूर्ण कर लिए गए हैं अथवा नहीं।

अत: वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित/अनुमोदित करवाने उपरान्त नियम 41 (1) व 41 (2) की अनुपालना में क्रमशः अनुमोदित बजट की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी तथा ग्राम पंचायत की दशा में सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी को दी जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना एवं अनुमोदित प्रतियाँ सम्बन्धित को देना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास स्व:-स्त्रोत में अतिरिक्त शेष राशि उपलब्ध थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-43 दिनांक 19.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹45.36 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-2}** के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान राशि **₹4535564.6** उपयोग हेतु शेष थी। जिससे स्पष्ट होता है कि पंचायत के द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के./एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-40 दिनांक 19/06/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या 15 दिनांक 21.6.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना

सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.66 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना और मांग व संग्रहण पंजिका एवं संबंधित रसीदों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹50/- प्रति परिवार की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹65590** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.25 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " 4"** पर संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-41 दिनांक 19.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹2.92 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट –"6"** में सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर/गटका इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान **₹292186.94** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.ए.डी/2025-45 दिनांक 20.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के अभाव के कारण फॉर्म "X" या "W" नहीं लिए गए। अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X" या

"W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा। उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को **(उनके पूर्ण विवरण सहित)** या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.06 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत सूचना एवं व्यय चयनित माह 01/2025 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹292186.94/-** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी., टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹5844/-**की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत

विवरण **परिशिष्ट " 6"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस,ए.डी/2025-46 दिनांक 20.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. निर्माण कार्यों के संदर्भ में राशि ₹3.69 लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत द्वारा अपेक्षित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह 01/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि. ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार **₹369442.9** का भुगतान किया गया था, परन्तु निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव में किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका :-

क्र० स०	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	कार्य का नाम	सामग्री	राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1	मनरेगा	23 21.01.2025	3377786 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण एम्बुलेंस रोड कुलदीप के घर से पीपल के पेड़ की ओर	सीमेंट	21100	माप पुस्तिका
2	मनरेगा	24 21.01.2025	337785 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता जय राम की गौशाला से लेकर संतोष कुमार के घर तक	सीमेंट	20256	माप पुस्तिका
3	मनरेगा	25 21.01.2025	337792 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण एम्बुलेंस रोड सडक से नर्यालू बस्ती की ओर	सीमेंट	37980	माप पुस्तिका
4	मनरेगा	26 21.01.2025	337788 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता मंदिर से लेकर चम्पा देवी के घर तक	सीमेंट	8018	माप पुस्तिका
5	मनरेगा	27 21.01.2025	337789 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण पूली नाले के ऊपर कजला बस्ती तक	सीमेंट	15614	माप पुस्तिका
6	मनरेगा	28 21.01.2025	337791 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता श्री चंद के घर से लेकर इंशान पब्लिक स्कूल की ओर	सीमेंट	19834	माप पुस्तिका
7	मनरेगा	29 21.01.2025	337781 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता सडक से लेकर नाले की ओर	सीमेंट	24054	माप पुस्तिका
8	मनरेगा	30	337790	एच.पी. सिविल	निर्माण रास्ता	सीमेंट	14348	माप पुस्तिका

		21.01.2025	08.10.2024	सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	नाले से लेकर अमर सिंह के घर तक			
9	मनरेगा	31 21.01.2025	337771 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता कुहल से लेकर सुभाष चंद की जमीन की ओर	सीमेंट	26164	माप पुस्तिका
10	मनरेगा	32 21.01.2025	337783 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता गुरुद्वारा से लेकर लंबर बस्ती तक	सीमेंट	17302	माप पुस्तिका
11	मनरेगा	33 21.01.2025	337787 08.10.2024	एच.पी. सिविल सप्लाई कारपोरेशन नगरोटा बगवां	निर्माण रास्ता सड़क से लेकर बावडी तक	सीमेंट	14348	माप पुस्तिका
12	मनरेगा	निल 22.01.2025	324 20.09.2024	विजय कुमार	निर्माण जीप योग्य रास्ता	रेता	18239.7	माप पुस्तिका
13	मनरेगा	निल 22.01.2025	325	विजय कुमार	निर्माण जीप योग्य रास्ता	बजरी	32185.2	माप पुस्तिका
14	सभा फंड	61 15.01.2025	676 05.11.2024	सुशील कुमार धीमान	स्थापना IEC बोर्ड	8(nos)	40000	माप पुस्तिका
15	सभा फंड	62 15.01.2025	677 07.11.2024	सुशील कुमार धीमान	स्थापना IEC बोर्ड	8(nos)	40000	माप पुस्तिका
16	सभा फंड	63 15.01.2025	678 09.11.2024	सुशील कुमार धीमान	स्थापना IEC बोर्ड	4(nos)	20000	माप पुस्तिका
						कुल योग	**369442.9**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-48 दिनांक 21.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके क्रमांक संख्या 15 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि, इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹6400.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-44 दिनांक 19.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 15 दिनांक 19.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, फलस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया की पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में धन, सामग्री के रिसन (leakage), दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**प्रारूप**
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता बही	29(1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-42 दिनांक 19.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 14 दिनांक 21.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-20 दिनांक 12.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या MASS/2025/21 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

विविध अनियमितताएं:-

13.1 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, मास 03/2025 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से

वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही हैं, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

0 7 AUG 2025

5272–5276

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)227/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मूमता, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) 176047 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 7 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

21

ANNEXURE-1 (पैरा संख्या — "५(क)")

FINANCIAL POSITION OF GRAM PANCHAYAT MUMTA BLOCK NAGROTA BAGWAN DISTT. KANGRA (H.P)-176047 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1118682.97	292923.06	1411606.03	959217	452389.03

2 GRANT-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	3430084.6	8870696	12300780.6	7765216	4535564.6

प्रधान ग्राम पंचायत मूमता

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मूमता
विकास खण्ड नगरोटा बगवां

22

ANNEXURE-2 (पैरा संख्या – "6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN AID OF GRAM PANCHAYAT MUMTA BLOCK NAGROTA BAGWAN DISTT. KANGRA (H.P) FOR THE YEAR 2024-25

SR.NO.	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2024-25	320867	609374	930241	485756	444485
2	VKVNY	2024-25	161000	300000	461000	448190	12810
3	MPLAD	2024-25	27992	250000	277992	70192	207800
4	SDP	2024-25	150000	16250	166250	148691	17559
5	SDRF	2024-25	0	40000	40000	0	40000
6	15TH/PS/ZP	2024-25	2371046.3	1544084	3915130	501399	3413731.3
7	THFC	2024-25	372179.3	0	372179.3	0	372179.3
8	RAYEAAY	2024-25	27000	0	27000	0	27000
9	MGNREGA	2024-25	0	6110988	6110988	6110988	0
		Total	**3430084.6**	**8870696**	**12300781**	**7765216**	**4535564.6**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मुमता
विकास खण्ड नगरोटा बगवां

29

23

परिशिष्ट-3(पैरा संख्या "५(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत मुमता विकास खंड नगरोटा बगवां गिला कॉंगड़ा हि० प्र० 176047

बैंक प्रमाण पत्र

क्र० स०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.2024 को	बैंक शेष 31.03.2025 को
1	स्वयं स्त्रोत	के.सी.सी.बैंक नगरोटा बगवां	50066589927	508570.00	289077.00
2	स्वयं स्त्रोत/पांचवा वित्/वी.के.वी.एन.वाई./ एम्.पी.लैड./एस.डी.पी./ एस.डी.आर.एफ./	के.सी.सी.बैंक नगरोटा बगवां	20012008032	1302646.03	633115.03
3	15वा वितायोग /पंचायत समिति/जिला परिषद्	एच.डी.एफ.सी.बैंक नगरोटा बगवां	50100317180429	2371046.30	3413731.30
4	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व् 31.03.2025 को(स्वय स्त्रोत की ऑनलाइन रोकड़ बही अनुसार)			189.94	600.00
			कुल योग		4336523.33

सचिव
ग्राम पंचायत मुमता
विकास खण्ड नगरोटा बगवां

(24) परिशिष्ट – 4 (पैरा संख्या "7")

कार्यालय ग्राम पंचायत मूमता, वि०ख० नगरोटा बगवां, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176047

दिनांक 31-03-2025 को पंचायत में क्षेत्र में 812 परिवारों में से सभी परिवारों से मु० 50/- प्रति वर्ष की दर से सम्पत्ति कर/ गृहकर वसूली हेतु शेष

वित्तीय वर्ष	कुल परिवार	अतिशेष	दर /प्रति वर्ष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अन्तशेष
2024-25	812	46,140	₹ 50.00	₹ 40,600.00	₹ 86,740.00	₹ 21,150.00	₹ 65,190
	नोट:- दिनांक 31.03.2025 को बकाया सम्पत्ति कर/गृहकर की राशि **₹65190/-** है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मूमता
विकास खण्ड नगरोटा बगवां

24

(25)

परिशिष्ट - 5 (पैरा संख्या - "10")

कार्यालय ग्राम पंचायत मूमता विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा (हि0प्र0) 176047

अंकेक्षण अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क/फीस को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	रसीद संख्या	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	अन्तशेष
1	अभिषेक	194841	21-01-2024	06-04-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
2	दीक्षांत चौधरी	194843	07-03-2024	09-04-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
3	हरकीर्तन सिंह	194854	14-04-2024	30-04-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0
4	विपन कौंडल	194855	12-04-2024	30-04-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0
5	अविनाश चौधरी	194856	18-02-2024	07-05-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
6	अंकुश कुमार	194858	21-02-2024	14-05-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
7	विकांत चौधरी	194861	18-04-2024	20-06-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
8	नीरज कुमार	194891	14-07-2024	06-08-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0
9	निर्मल कुमार	193172	07-10-2024	26-10-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0
10	साहिल	193323	07-10-2024	28-11-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
11	गौरव कुमार	193330	17-11-2024	12-12-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0
12	सौरभ	193337	17-09-2024	12-12-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
13	नीलम कुमार	193338	26-10-2024	23-12-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
14	सचिन कुमार	193348	11-12-2024	04-01-2025	₹ 200.00	₹ 200.00	0
15	हिमांशु चौधरी	193358	03-11-2024	09-01-2025	₹ 400.00	₹ 400.00	0
16	रमन भरमौरिया	193376	22-11-2024	28-01-2025	₹ 400.00	₹ 400.00	0
17	नित्या नन्द	25502	30-01-2025	21-02-2025	₹ 200.00	₹ 200.00	0
18	सौरभ	23508	20-02-2025	04-03-2025	₹ 200.00	₹ 200.00	0
19	कपिल	23526	24-01-2025	10-03-2025	₹ 400.00	₹ 400.00	0
20	पंकज	23558	18-02-2025	21-03-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0
				कुल योग	**₹ 6,400.00**	**₹ 6,400.00**	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मूमता
विकास खण्ड नगरोटा बगवां

25

(26)

परिशिष्ट- 6 (पैरा संख्या "8.1 ")

कार्यालय ग्राम पंचायत ममता विकास खंड नगरोटा बगवां ,जिला काँगड़ा द्वारा हि०प्र० -176047 द्वारा क्रय खनन सामग्री बर्ष 2024-25

क्र.स.	अनुदान	वाउचर सं०/दिनांक	फर्म का नाम	बिल स०/दिनांक	सामग्री	मात्रा/प्रति घन फुट	दर	जी एस. टी.5%	कुल राशि	स्टाक रजिस्टर पेज
1	MGNRREGA	13/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	325/05.10.2024	Sand	325	60.95	990.43	20799.18	27
2	MGNRREGA	16/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	322/04.10.2024	sand	370	60.95	1127.5	23679.07	27
3	MGNRREGA	17/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	323/05.10.2024	Aggrigate	720	55.23	1988.28	41753.88	27
4	MGNRREGA	NIL/22.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	328/10.10.2024	Sand	110	60.95	335.22	7039.7	28
5	MGNRREGA	NIL/22.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	328/10.10.2024	Aggrigate	200	55.23	552.3	11598.3	28
6	MGNRREGA	19/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	305/25.06.2024	Sand	635	43.25	1373.18	28836.93	26
7	MGNRREGA	19/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	305/25.06.2024	Aggrigate	365	32.775	598.14	12561	26
8	MGNRREGA	20/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	302/22.06.2024	Sand	450	43.225	972.56	20423.81	27
9	MGNRREGA	20/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	302/22.06.2024	Aggrigate	310	32.775	508	10668.26	27
10	MGNRREGA	21/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	303/24.06.2024	Sand	575	43.225	1242.71	26097.09	27
11	MGNRREGA	21/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	303/24.06.2024	Aggrigate	310	32.775	580.01	10668.26	27
12	MGNRREGA	22/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	301/20.06.2024	Sand	245	43.22	529.445	11118.3	27
13	MGNRREGA	22/21.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	301/20.06.2024	Aggrigate	480	32.775	786.6	16518.6	27
14	MGNRREGA	NIL/22.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	324/06.10.2024	Sand	285	60.95	868.53	18239.28	28
15	MGNRREGA	NIL/22.01.2025	Vijay kumar Vill.Bhorni P.O Samloti	325/07.10.2025	Aggrigate	555	55.23	1532.6	32185.28	27
								Total	**292186.94**	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ममता
विकास खण्ड नगरोटा बगवां

26